महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, 87–राजपुर रोड, देहरादून।

पत्रांकः नि0 1655/3–3 (आर.ई./पी.ई.–एल.ई.–समर्पण) दिनाकः देहरादून ~~फरवरी~~ 01 मार्च 2017।

सेवा में,

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
(मु.व.सं. आजीविका एवं एन.टी.एफ.टी., मु.व.सं. कुमाऊं, मु.व.सं. इको टूरिज्म, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी, नैनीताल, अति.भू.सं. रामनगर, बद्रीनाथ, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग को छोड़कर)
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

विषय :– **आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31 मार्च 2017 तक सम्भावित व्यय को देखते हुये बचत की धनराशि के समर्पण के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **इस कार्यालय का पत्रांक नि.1596/3–3 (आर.ई./पी.ई.–एल.ई.–समर्पण) दिनांक 14.02.2017।**

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **आयोजनेत्तर/आयोजनागत** पक्ष की विभिन्न योजनाओं में अब तक आपको आवंटित धनराशि का तत्काल अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किये जाने तथा अपरिहार्य कारणों से यदि आवंटित धनराशि का शतप्रतिशत उपयोग **31 मार्च 2017 तक** होने की सम्भावना न हो तो ऐसी स्थिति में अन्तिम रूप से आँकलित बचत की धनराशि को अनिवार्य रूप से **दिनांक 22.02.2017** तक **ऑन लाईन समर्पित** कर दिये जाने की अपेक्षा की गयी थी। इसके साथ ही यदि **किन्हीं अन्य कोषागार मानक मदों में धनराशि की मांग हो** तो उसकी सूचना भी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी परन्तु अभी तक विभाग के 71 आहरण वितरण अधिकारियों में से मात्र 08 से ही केवल समर्पण की सूचना प्राप्त हो पायी है। सभी से उक्त वांछित सूचना प्राप्त न हो पाने के कारण बचत की धनराशि का पुनरावंटन सम्भव नहीं हो पा रहा है जबकि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब अल्प समय अवशेष रह गया है।

अतः उक्त प्रकरण में पुनः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार **समर्पण** एवं **मांग** के सम्बन्ध में सूचना तत्काल **लौटती डाक/ई–मेल/फैक्स** से इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें और यदि कोई समर्पण अथवा मांग न हो तो ऐसी स्थिति में भी रिक्त सूचना अवश्य प्रेषित की जाये।

भवदीय,

01-3-17

(गम्भीर सिंह)
प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

संख्याः नि0 1655/ 3–3 (आर.ई./पी.ई.–एल.ई.–समर्पण) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।**
2. **वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।**
3. **उप वन संरक्षक,** आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

01-3-17

(गम्भीर सिंह)
प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।